



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 113-2017/Ext.]CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 30, 2017 (ASADHA 8, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 30 जून, 2017

संख्या 45/एसटी2 -- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) और धारा 56 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे सारणी के खाना (2) में यथा विनिर्दिष्ट धाराओं के प्रयोजन के लिए, उक्त सारणी के खाना (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रतिवर्ष ब्याज दर नियत करते हैं, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	धारा	ब्याज दर (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 50 की उपधारा (1)	18
2.	धारा 50 की उपधारा (3)	24
3.	धारा 54 की उपधारा (12)	6
4.	धारा 56	6
5.	धारा 56 का परंतुक	9

2. यह अधिसूचना जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से लागू होगी ।

संजीव कौशल
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 30th June, 2017

No:45/ST-2 – In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby fixes the rate of interest per annum for the purposes of the sections as specified in column (2) of the Table below as mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

Table

Serial Number	Section	Rate of interest (in percent)
(1)	(2)	(3)
1.	Sub-section (1) of section 50	18
2.	sub-section (3) of section 50	24
3.	sub-section (12) of section 54	6
4.	section 56	6
5.	proviso to section 56	9

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

SANJEEV KAUSHAL,
 Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
 Excise and Taxation Department.

55451-C.S.-H.G.P., Chd.